

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

1. धर्मपाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी ।
—वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र जगराम } जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी ।
2. मांगेलाल पुत्र रामकुमार } —प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं० 1 के नाम से चक नं० 1 ए बारानी के खाता सं० 169/160 में कुल 18.216 है० कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1/4 हिस्सा की आराजी के वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 ब०हि०ब० के खातेदार काशतकार घोषित किये जाकर चक नं० 1 ए बारानी के खाता सं० 169/160 मे से प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के
मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 6.8.18.....अदा
करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....6.8.18.....को जारी
किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
एव उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी